न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—203/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/203)

1. कैलाश पुत्र शंकर जाति खाती निवासी सलारी तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. गिरीराज सिंह पुत्र सवाई जयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर हाल निवासी कल्याण कॉलोनी, अजमेर रोड़, केकड़ी तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. बजरंग पुत्र चंद्रा कुमावत
3. रसाली पत्नी उदा गुर्जर
4. उदा पुत्र काना गुर्जर
5. जगदीश पुत्र भैरू गुर्जर
6. किशन पुत्र भैरू गुर्जर
7. गोपाल पुत्र भैरू गुर्जर
8. सुखलाल पुत्र भैरू गुर्जर
   सभी निवासी ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
9. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, केकड़ी अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.08.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी राजस्व वाद संख्या 65/2019

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री अजीत सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
4. श्री विनोद गौड व कालूराम गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 9

निर्णय

दिनांकः—11.10.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 65/2019 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 27.08.2021 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 के खाता संख्या नया 61 पुराना 0 के वर्णित खसरा नम्बर 333 रकबा 0.8000 हैक्टर किस्म चाही 2 खड्डा स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात अपीलांट की कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजीयात होकर अपीलांट उपरोक्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार चला आ रहा है एवं उपरोक्त आराजी पर काश्त करने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लिए जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है अतः अप्रार्थीगण की अराजी खसरा नम्बर 310 रकबा 1.73 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 308 की पश्चिम मेड के सहारे होकर आराजी खसरा नमबर 333 तक 12 फीट चौड़ा रास्ता दिलाए जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दौराने प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी प्रस्तुत किया गया जिस पर रेस्पोडेंटस संख्या 3 से 8 को पक्षकार मुर्तिब किया गया एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 बजरंग पुत्र चंदा जाति कुमावत द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 308 में से जाने के बाबत अगर रास्ता अपीलांट को दिया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा मौके की वस्तुस्थिति के लिए दिनांक 17.7.2020 को मौके की रिपोर्ट तलब की गई जिसमें बिंदु संख्या 5 एवं 6 में स्पष्ट रूप से अंकित किया कि प्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 333 रकबा 0.8000 हैक्टर पर काश्त करने के लिए जाने के बाबत कोई रास्ता नहीं है एवं बिंदु संख्या 6 में स्पष्ट रूप से अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते के अतिरिक्त मौका स्थिति अनुसार अन्य कोई निकटतम मार्ग उपलब्ध नहीं है। तत्पश्चात् पुनः एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया कि दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब की जावे जिस पर पुनः दिनांक 8.1.2021 को दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब की गई एवं तीन वैकल्पिक रास्तों का मौका देखा गया। तत्पश्चात विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया एवं दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने सरसरी तौर पर अपीलांट द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नया रास्ता जो पूर्व में कभी नहीं रहा जिसे देना उचित नहीं समझते को गैर कानूनी ओबजरवेशन देते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का आदेश दिनांक 27.08.2021 को पारित कर दिया। अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 65/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2021 से असंतुष्ट होकर न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने इस बिंदु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट को आराजी खसरा नम्बर 333 रकबा 0.8000 हैक्टर पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है जो कि भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मंगवाई गई रिपोर्ट से पूर्णतया स्पष्ट है, इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने सरसरी तौर पर यह कहते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में गंभीर त्रुटि कारित की है कि विवादित आराजी मुतनाजा जिस पर अपीलांट काश्त करने के लिए जाने के लिए रास्ता मांग रहा है वह पैत्रिक आराजी नहीं है बल्कि खरीद की गई आराजी है, उपरोक्त कथन करते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया कि जिस रास्ते के बाबत उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने अपीलांट के खेत से 50 मीटर की दूरी पर सलारी से नया गावं जाने वाले रास्ते से अपीलांट आवागमन करता है तो एसी स्थिति में अपीलांट को उपरोक्त रास्ते बाबत् कानूनन रास्ता प्रदान करना चाहिए था, इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने अपीलांट को कहीं से भी रास्ता नहीं देने में वैधानिक भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया की धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

1955 की मंशा यह है कि अगर किसी खातेदार को अपनी खातेदारी की जोत पर जाने के लिए एवं काश्त करने के लिए अगर कहीं पर भी राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है तो उसे अपनी खातेदारी की आराजीयात को काश्त करने के लिए रास्ता दिया जाना आवश्यक है, इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने सरसरी तौर पर दूसरी तरफ नया रास्ता दिए जाने का कोई औचित्य नहीं होना अंकित कर अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने इस महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ध्यान नहीं दिया कि खसरा नम्बर 2701/305, 305 एवं 304 के खातेदारों को अगर पक्षकार नहीं बनाया था तो जैसाकि पूर्व में खसरा नम्बर 346, 345 के खातेदारों को आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी के तहत पक्षकार बनाया गया था वैसे ही आराजी खसरा नम्बर 2701/305 एवं खसरा नम्बर 304 एवं 305 के खातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर कानूनन अपीलांट को रास्ता प्रदान किया जाना अनिवार्य था, इसके बावजूद भी सरसरी तौर पर उपरोक्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है का कथन अंकित कर जो निर्णय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने प्रदान किया है वह अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है जो कि अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट के खेत का एकमात्र रास्ता चर्तुभुज खाती के समय से ही नयागॉव जाने वाले रास्ते पर रहा है तथा वह ही उसका कदीमी रास्ता है किन्तु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की आड़ में अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को जबरन हैरान एवं परेशान कर उसके खेत को खराब करना चाहता है तथा अपनी इसी मंशा से उसने तथ्य छिपाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के खेत में 10 वर्षो से भी अधिक समय से तारबन्दी हो रखी है तथा जो कि पूर्णतया अपीलांट की जानकारी में है। अपीलांट ने अवैध रूप से खेत से कुछ ही दूरी पर मकान बना रखा है तथा वह चाहता है कि रेस्पोडेन्ट उसके मकान हेतु अपने खेत में से रास्ता दे दे तथा रेस्पोडेन्ट के मना करने पर उक्त अस्तित्वहीन रास्ते के आधार पर वह यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत आदेश पारित करते हुए खारिज किया है।मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 333 रकबा 0.80 है0 पर आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के खेत खसरा नम्ब्र 308 रकवा 0.80 है0 में पश्चिमी मेड़ के सहारे होकर 12 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाता है तो हमे कोई आपत्ति एवं एतराज नही है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि यह कि खसरा नम्बर 333 जो पूर्व में वर्किंग जमाबंदी की खसरा नम्बर 70 से बना हुआ है जो रामचंद्र पुत्र सुखदेव जांगडा ब्राह्मण जाति खाती के नाम दर्ज थी, खसरा नम्बर 70, 33 बीघा 3 बिस्वा 2 बिस्वांसी बारानी प्रथम के नाम दर्ज थी। रामचंद्र की मृत्यु के बाद तथा उसके पुत्र चर्तुभुज की मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 333 रकबा 0.80 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 305 रकबा 2.26

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 334 रकबा 2.42 हेक्टेयर बनाए गए। आधार जमाबंदी में मिस्री बेवा चर्तुभुज नन्दू बेवा चर्तुभुज, भंवरलाल रामेश्वर, रामराज व शिवराज पीसरान श्री चुर्तभुज के नाम विरासत खोली गई। अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा रास्ता चाही गई आराजी खसरा नम्बर 333 रकबा 0.80 है जो चर्तुभुज के पुत्र रामेश्वर ने क्रय की है बाकि शेष भूमि वर्तमान में भी श्री रामचंद व चर्तुभुज के वारिसान कब्जे काश्त में है। यह कि रामचंद्र व भंवरलाल खसरा नम्बर 305 रकबा 1.12 हेक्टेयर बारानी जो भंवरलाल के नाम है जहां से सीधा रास्ता नया गांव से सलारी जाने का खसरा नम्बर 138 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो खसरा नम्बर 305 से मात्र 50 मीटर दूर है उपरोक्त रास्ते में अपीलार्थी/प्रार्थी एवं बकाया काश्तकार व उनके पूर्वज आते-जाते रहे है जिसे तहसील पर्चा रिपोर्ट दिनांक 08.01.2021 मे दर्शाया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 8 की आराजी खसरा नम्बर 346 रकबा 0.05 है तथा खसरा नम्बर 2368 , 346 रकबा 0.05 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 240/345 रकबा 0.04 हेक्टेयर खसरा नम्बर 329 रकबा 0.46 हेक्टेयर है, उपरोक्त खसरा नम्बरान् में से प्रार्थी का कभी कदीम रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थी का कदीम व आज तक आने-जाने का रास्ता रिकार्ड में दर्ज खसरा नम्बर 138 सलारी से नया गांव का है जो खसरा नम्बर 303, 305, 304 व 2761/305 से है तथा प्रार्थी के लिए देह निकटमत व सुविधाजनक मार्ग है जिसका उपयोग प्रार्थी सहित सभी खातेदार अपने पूर्वजों के समय से करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 8 के छोटे-छोटे खसरे है, उपरोक्त खसरों में से प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है तो प्रत्यर्थीगण संख्या 3 लगायत 8 की भूमि का अधिकांश हिस्सा रास्ते में आ जाएगा तथा शेष भूमि काश्त लायक नहीं रहेगी, इस कारण उपरोक्त खसरा नम्बरान जिनका उल्लेख नीचे दिया गया है में से अपीलार्थी का रास्ता चाहना न्यायसंगत नहीं है इस प्रकार खसरा संख्या 138 रास्ता जिसका उपयोग प्रार्थी सहित सह काश्तकार जो अपने पूर्वजों के समय से आज तक करते आ रहे है वो सीधा रास्ता व निकटतम है जो भंवरलाल के खसरा नम्बर 305 से 50 मीटर की दूरी पर है। अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 8 के छोटे-छोटे खसरे हैं खसरा 346 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा 208/346 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा 345, रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा 2640/345 रकबा 0.05 हेक्टेयर। प्रार्थी के पास व जिससे उसने खरीद किया है उसके पास उपरोक्त प्रार्थी के पास आने-जाने के लिए जहां से उसका विक्रेता आया जाया करता है तथा उसकी भूमि पर तार-बंदी है, उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी आसानी से ट्रेक्टर व अन्य वाहन आसानी से खेत पर ले जाता है, इस तथ्य को प्रार्थी ने अपने कथनों में छुपाया है। प्रार्थी ने यह छुपाया कि उसने खेत से कुछ दूरी पर मकान बना रखा है उसकी मंशा उपरोक्त रास्ता लेकर अपने मकान तक आने-जाने की है जिसे वह प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी समय से चले आ रहे रास्ते खसरा नम्बर 138 जिसे खरीद के समय से प्रार्थी उसके पूर्व उसके विक्रेता तथा अन्य सह खातेदार उपयोग में लेते आ रहे है और जो महज 50 मीटर की दूरी पर है उसे ही प्रार्थी को उपयोग करने का अधिकार है ना कि नया रास्ता लेकर अप्रार्थीगण की भूमि से रास्ता लेकर खराब करने का अधिकार है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट / प्रार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 333 रकबा 0.80 बाबत आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है तथा खसरा नम्बर 310 व 308 की पश्चिम मेड से होकर प्रार्थी/अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 330 तक 12 फिट का रास्ता दिलवाया जाए। रामचंद्र व भंवरलाल खसरा नम्बर 305 रकबा 1.12 हैक्टर जो कि भंवरलाल के नाम है जहां से सीधा रास्ता नया गांव से सलारी जाने का खसरा नम्बर 138 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जोकि खसरा नम्बर 305 से मात्र 50 मीटर दूरी पर स्थित है जिसे कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौका रिपार्ट दिनांक 8.1.2021 में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है तथा प्रार्थी/ अपीलांट के खातेदारी खसरा नम्बर 333 रकबा 0.80 हैक्टर तक पहुचने हेतु वर्तमान खसरा नम्बर 347 (आबादी भूमि ग्राम पंचायत सलारी) तक मौके पर रास्ता विद्यमान है तथा प्रार्थी द्वारा अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से नया रास्ता चाहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के मूल प्रावधानों के विपरीत है तथा अधिनियम की उक्त धारा के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार नया रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से उक्त अपील खारिज योग्य पाई जाने से उक्त अपील खारिज की जाती है।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के द्वारा प्रकरण संख्या 65/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2021 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 11.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर